

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड

(आप.प्रक.क्रमांक :- 538 / 2014)

(संस्थित दिनांक :- 26 / 06 / 2014)

म.प्र.राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

/// विरुद्ध ///

01. पुत्तू सिंह कुशवाह पुत्र सामले सिंह कुशवाह, उम्र 53 वर्ष।
 02. गिराज कुशवाह पुत्र पुत्तू सिंह कुशवाह, उम्र 25 वर्ष।
निवासी :- वार्ड क्रमांक 02 दत्तपुरा गोहद, थाना-गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
 03. सोनू जाटव पुत्र सुरेश जाटव, उम्र 27 वर्ष।
निवासी :- वार्ड क्रमांक 02 गंज मौहल्ला गोहद, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।
- अभियुक्तगण।

/// निर्णय ///

(आज दिनांक : 26 / 03 / 2018 को घोषित)

01. अभियुक्तगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू पर भा.द.सं. की धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपीगण ने दिनांक :- 01/06/2014 की सुबह लगभग 11:30 बजे, फरियादी भूरी के घर स्थित छत्तरपुरा के सामने, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी भूरी को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भूरी, मुरारी एवं खुशबू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी भूरी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 01/06/2014 की सुबह लगभग 11:30 बजे फरियादी भूरी के घर स्थित छत्तरपुरा के सामने, आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू द्वारा फरियादी भूरी से गाली-गलौच करने, उसकी, उसके पति मुरारी एवं उसकी पुत्री खुशबू की लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी भूरी द्वारा उसी दिनांक को दोपहर 12:15 बजे थाना गोहद पर की जाने पर, थाना गोहद में आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II सहपठित धारा 34 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया।

आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी भूरी बाई, साक्षी/आहत खुशबू, मुरारी एवं संतोष के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्तगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपीगण का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फसाया जाना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

01. क्या आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू ने दिनांक :- 01/06/2014 की सुबह लगभग 11:30 बजे, फरियादी भूरी के घर स्थित छत्तरपुरा के सामने, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी भूरी को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भूरी, मुरारी एवं खुशबू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी भूरी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष ?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय प्रश्न क्रमांक :- 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी भूरीबाई अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10/03/2017 से

करीबन 03 वर्ष पहले की होकर सुबह साढ़े 11-12 बजे की है। वह आरोपी पुत्तू, गिर्राज एवं सोनू को जानती है। साक्षी आगे कहती है कि वह अपने दरवाजे पर खड़ी थी और उसके घर के सामने जुआँ खेलता था, उसने जुआँ खेलने की मना किया तो आरोपीगण गिर्राज एवं सोनू उसे माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे, उसने गालियाँ देने से मना किया तो उन्होंने उसे रास्ते में धक्का दे दिया, जिससे वह गिर गई और उसके पीठ में डण्डा मारे। साक्षी आगे कहती है कि उसे पीठ में डण्डा गिर्राज ने मारा था, सोनू से उसे पकड़ लिया था एवं गिर्राज ने उसे पटक लिया था, जिससे वह खण्डों पर गिर गई थी, जिससे उसे चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी, जो प्र.पी.02 है, जिस पर उसकी अंगूठा निशानी है। पुलिस ने घटनास्थल पर आकर नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.03 है। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर फरियादी भूरी अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने पुत्तू कुशवाह से मकान खरीद था, तो पुत्तू कुशवाह कहता था कि इसमें उसका भी हिस्सा है और इसी बात पर से पुत्तू उससे रंजिश रखता था। फरियादी भूरी अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुत्तू ने उसके हाथ में डण्डे मारे थे एवं गिर्राज ने उसके माथे पर डण्डा मारा था। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब उसके पति बचाने आये तो सोनू ने उसकी कॉलर पकड़कर धक्का-मुक्की कर दी थी एवं उसकी बच्ची खुशबू बचाने आई तो सोनू ने उसे भी चाटें मारे थे।

09. साक्षी/आहत खुशबू अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पुत्तू, गिर्राज एवं सोनू को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/04/2017 से करीबन दो-तीन साल पूर्व की होकर दिन के लगभग 11:00 बजे की है। साक्षी आगे कहती है कि आरोपीगण उसके घर के दरवाजे के सामने चबूतरा पर जुआँ खेलते थे, उसकी मम्मी ने आरोपीगण को डांटा तो आरोपीगण उसकी माँ से गाली-गलौच करने लगे। साक्षी आगे कहती है कि दूसरे दिन उसके दरवाजे पर आरोपीगण पुत्तू, गिर्राज एवं सोनू आये और गंदी-गंदी गालियाँ देने लगे, जब उसकी माँ ने दरवाजा खोलकर देखा तो, उसके बाद उसकी माँ की गिर्राज ने पत्थर से मारपीट की, जिससे उसकी माँ को आंख के पास चोट आई थी। जब उसके पापा निकलकर आये तब आरोपी सोनू ने उन्हें पकड़ा और मारपीट की। उसके बाद जब वह निकलकर आई तो आरोपी गिर्राज ने उसके डण्डा मारा, जो पीठ में लगा। आरोपी गिर्राज ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी खुशबू अ.सा.03 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुत्तू ने उसकी माँ के हाथों में एवं गिर्राज ने उसकी माँ को बाई आंख में डण्डा मारा था। साक्षी ने स्वतः कहा कि डण्डें नहीं मारे थे, पत्थर मारे थे।

10. साक्षी/आहत मुरारी अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपीगण पुत्तू, गिर्राज एवं सोनू को जानता है। घटना उसके

न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 11/04/2017 से करीबन दो-ढाई साल पूर्व की होकर दिन के लगभग 11:30-11:45 बजे की वार्ड क्रमांक 01 गोहद स्थित उसके घर के दरवाजे के सामने की है। साक्षी आगे कहता है कि आरोपीगण गिर्राज एवं सोनू ने घटना के समय उसके घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी भूरीबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी थी। साक्षी आगे कहता है कि आरोपी गिर्राज ने उसकी पत्नी को पकड़कर दरवाजे से बाहर खींच लिया था। आरोपी सोनू ने उसकी पत्नी को पकड़ लिया था और गिर्राज ने उसकी पत्नी को पत्थर मारा, जो उसकी दाहिनी आंख के बगल में लगा था। जब उसके उसकी पत्नी के चिल्लाने की आवाज आई तो वह बाहर आया तो आरोपी सोनू एवं उसके साथ में दो अन्य लोगों ने उसे पकड़ लिया। साक्षी आगे कहता है कि उसकी लड़की खुशबू मौके पर आ गई थी। आरोपी गिर्राज ने उसकी लड़की खुशबू के दो डण्डें मारे थे। आरोपी गिर्राज ने उसे धमकी दी कि अगर तू थाने गया तो तेरे पीछे गुण्डे लगा दूंगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी को लेकर रिपोर्ट करने थाने गया था। पुलिस कोई पूछताछ नहीं की थी।

11. साक्षी संतोष अ.सा.07 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 22/08/2017 से करीबन तीन-चार साल पहले की है। घटना दिनांक को दिन के 12-12:30 बजे करीबन पुत्तू का लड़का गिर्राज एवं सोनू के बीच में झगड़ा हो रहा था। साक्षी आगे कहता है कि सोनू ने भूरीबाई के हाथ पकड़ लिये और गिर्राज, भूरीबाई को जमीन पर पटककर लात-घूसों एवं डण्डें से गिर्राज एवं सोनू ने मारपीट की। साक्षी आगे कहता है कि एक डण्डा भूरीबाई के आंख के उपर माथे पर लगा था, घटनास्थल पर अन्य लोग आ गये थे और ये सभी लोग अलग-अलग हो गये थे और भूरी बाई थाने पर रिपोर्ट करने चली गई थी। पुलिस ने उससे एक बार पूछताछ की थी और उसका बयान लिया था।

12. फरियादी भूरी बाई अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में घटना दोपहर 11:30-12:00 बजे की होना दर्शित किया है, जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में उसने आरोपित घटना दोपहर 12:30-01:00 बजे की होना दर्शित की है। फरियादी भूरीबाई अ.सा.02 की पुत्री आहत खुशबू अ.सा.03 ने उसके मुख्य परीक्षण में घटना दोपहर 11:00 बजे की होना दर्शित किया है। फरियादी भूरीबाई के पति मुरारी अ.सा.04 ने आरोपित घटना दोपहर 11:30 बजे से 11:45 बजे के बीच की होना दर्शित किया है। कथित चक्षुदर्शी साक्षी संतोष अ.सा.07 ने आरोपित घटना दोपहर 12:00-12:30 बजे की होना दर्शित किया है, जबकि फरियादी भूरीबाई द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में आरोपित घटना दोपहर 11:30 बजे की होना दर्शित होता है। इस प्रकार आरोपित घटना के समय के संबंध में फरियादी भूरी अ.सा.02, खुशबू अ.सा.03, मुरारी अ.सा.04 एवं संतोष अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं भूरी बाई द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है, जो अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

13. फरियादी भूरी बाई ने उसके द्वारा लेखबद्ध कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 में आरोपित घटना के कारण के रूप में फरियादी भूरीबाई द्वारा कय किये गये भवन में आरोपी पुत्तू द्वारा उसका हिस्सा होना और आरोपी पुत्तू द्वारा निरन्तर उसके हिस्से के रूपये मांगना दर्शित किया है। जबकि भूरीबाई अ.सा.02 ने उसके मुख्य परीक्षण में अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर ही उक्त तथ्य दर्शित किये है, स्वतः दर्शित नहीं किये है। फरियादी के पति मुरारी अ.सा.04 एवं पुत्री खुशबू अ.सा.03 ने उक्त तथ्य उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किये है। फरियादी भूरी बाई द्वारा अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी आरोपित घटना का कारण दर्शित करना और उसके पति मुरारी तथा पुत्री खुशबू द्वारा उक्त कारण दर्शित ना करना, प्रकरण में आई अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुये अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

14. फरियादी भूरी बाई ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी पुत्तू द्वारा उसे या उसके पति या पुत्री को चोट कारित करने संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं किये है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर ही उसने पुत्तू द्वारा फरियादी भूरी के हाथ में डण्डा मारने का तथ्य बताया है। जबकि प्रति-परीक्षण के पद कमांक 03 में भूरी बाई अ.सा.02 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी पुत्तू घटना के पश्चात् जब हम अर्थात् फरियादीगण रिपोर्ट करने के लिए चले गये, तब घटनास्थल पर आया था और पुत्तू से घटना के समय कोई लड़ाई नहीं हुई थी। साक्षी आगे कहती है कि घटना दिनांक को ही रात में रिपोर्ट करने के बाद हुई थी, जिसका अर्थ यह है कि फरियादी भूरी बाई के अनुसार आरोपित घटना में आरोपित पुत्तू द्वारा कोई कृत्य कारित नहीं किया गया था, बल्कि आरोपित घटना की रिपोर्ट होने के पश्चात् रात्रि के समय आरोपी पुत्तू से पृथक से कोई लड़ाई हुई थी। इस प्रकार आरोपित घटना में आरोपी पुत्तू के संलिप्त होने के संबंध में फरियादी भूरीबाई के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

15. फरियादी भूरी ने आरोपित घटना में पुत्तू द्वारा उसे चोट पहुँचाये जाने का कोई तथ्य दर्शित नहीं किया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने आरोपी पुत्तू द्वारा उसके हाथ में एवं माथे पर डण्डा मारे जाने का तथ्य बताया है। जबकि उसकी पुत्री खुशबू अ.सा.03 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर आरोपी पुत्तू या गिराज द्वारा फरियादी भूरीबाई की बाई आंख में डण्डों से चोट कारित करने संबंधी तथ्य दर्शित नहीं किया है, बल्कि पत्थर से उक्त चोट कारित होना दर्शित किया है। इसी प्रकार फरियादी भूरीबाई के पति मुरारी अ.सा.04 ने उसके मुख्य परीक्षण में आरोपी गिराज द्वारा भूरीबाई की दाहिनी आंख में पत्थर मारने का तथ्य दर्शित किया है। कथित चक्षुदर्शी साक्षी संतोष अ.सा.07 ने भी उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी किसी भी आरोपी द्वारा फरियादी भूरीबाई को पत्थर से चोट कारित करने संबंधी तथ्य दर्शित नहीं किया है। स्वयं फरियादी भूरीबाई ने भी

उसे किसी भी आरोपी द्वारा पत्थर से चोट कारित करने संबंधी तथ्य दर्शित नहीं किया है। इस प्रकार इस वावत् भूरीबाई अ.सा.02, खुशबू अ.सा.03, मुरारी अ.सा.04 एवं संतोष अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

16. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में खुशबू अ.सा.03 ने यह दर्शित किया है कि उसके घटना के समय घर से बाहर निकलकर आने के पश्चात् आरोपीगण ने उसकी माँ भूरीबाई को कोई चोट नहीं पहुँचाई थी। जबकि भूरीबाई के पति/खुशबू के पिता आहत मुरारी अ.सा.04 का उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में कहना है कि ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी पत्नी के घर से निकलने के बाद वह और उसकी बच्ची खुशबू बाहर आई हो। इसका अर्थ यह है कि आरोपित घटना के समय फरियादी भूरीबाई पुत्री खुशबू एवं पति मुरारी एकसाथ बाहर आये थे और घटना के समय एकसाथ उपस्थित थे। जबकि खुशबू अ.सा.03 उपरोक्तानुसार फरियादी भूरीबाई की मारपीट के पश्चात् घटनास्थल पर आना दर्शित करती है। इस प्रकार यह साक्षी आरोपित घटना में फरियादी भूरीबाई को कथित रूप से आरोपीगण द्वारा पहुँचाई गई चोटों के संबंध में चक्षुदर्शी साक्षी होना दर्शित नहीं होती है। जबकि अभियोजन कथा के अनुसार वह घटना की चक्षुदर्शी साक्षी होकर स्वयं आहत है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों के संबंध में खुशबू अ.सा.03 एवं मुरारी अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है।

17. भूरीबाई के पति/मुरारी अ.सा.04 का उसके मुख्य परीक्षण में कहना है कि आरोपी गिराज ने उसकी पत्नी भूरीबाई को पकड़कर दरवाजे के बाहर खींच लिया था। जबकि भूरीबाई अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अथवा उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी गिराज द्वारा उसे दरवाजे से पकड़कर बाहर खींच लेने संबंधी कोई तथ्य दर्शित नहीं किये हैं। इस प्रकार इस वावत् भूरीबाई अ.सा.02 एवं मुरारी अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है, जो अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाता है।

18. घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी संतोष अ.सा.07 ने मुख्य परीक्षण में घटना दिनांक को दिन में 12:00-12:30 बजे आरोपी पुत्तू के लड़के आरोपी गिराज एवं आरोपी सोनू के मध्य झगड़ा होने का तथ्य दर्शित किया है, जबकि फरियादी भूरीबाई, खुशबू या मुरारी ने ऐसा कोई तथ्य उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया है।

19. साक्षी बलवंत यादव अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/06/2014 को थाना गोहद में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी भूरी द्वारा आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू के विरुद्ध रिपोर्ट की जाने पर, उसके द्वारा उक्त आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 लेखबद्ध की थी,

जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी बलवंत यादव अ.सा.06 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरान्त भी अखण्डित रहा है। साक्षी बलवंत यादव अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों से भी हो रही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक बलवंत अ.सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह दर्शित नहीं किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के तथ्यों के अनुसार जब आरोपित घटना में आहतगण तीन थे, तब उसके द्वारा केवल फरियादी/आहत भूरीबाई का ही मेडीकल परीक्षण फॉर्म भरकर मेडीकल परीक्षण क्यों कराया गया, अन्य आहतगण मुरारी एवं खुशबू का मेडीकल परीक्षण क्यों नहीं कराया गया।

20. साक्षी तहसीलदार शर्मा अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 01/06/2014 को थाना गोहद में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद के अपराध क्रमांक 188/2014 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग।। भा.द.सं. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा उक्त दिनांक को फरियादी भूरी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका बनाया था, जो प्र.पी.03 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही फरियादी भूरी, साक्षी खुशबू, मुरारी एवं संतोष के बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये थे, जिसमें कुछ घटाया-बढ़ाया नहीं था। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 19/06/2014 को साक्षी प्रताप एवं राधे के समक्ष आरोपी पुत्तू, गिराज एवं सोनू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.04 लगायत प्र.पी.06 बनाये थे, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना उपरांत चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

21. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी तहसीलदार अ.सा.05 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि नक्शा-मौका प्र.पी.03 पर फरियादी भूरीबाई के कहीं पर भी हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है। नक्शा-मौका प्र.पी.03 के अवलोकन से भी यह दर्शित होता है कि उस पर फरियादी भूरीबाई के कहीं पर भी हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशानी नहीं है। यह तथ्य उक्त नक्शा-मौका प्र.पी.03 फरियादी भूरीबाई के बताये अनुसार बनाये जाने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है। विवेचक तहसीलदार अ.सा.05 ने मुरारी अ.सा.04 का पुलिस कथन घटना दिनांक : 01/06/14 को ही लेखबद्ध करना बताया है। जबकि मुरारी अ.सा.04 ने उसके मुख्य परीक्षण में स्पष्ट रूप से यह दर्शित किया है कि पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में साक्षी मुरारी अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि ऐसा नहीं हुआ था कि पुलिस ने उसका कथन प्र.डी.02 रिपोर्ट लिखने के बाद उसी समय थाने पर ले लिया हो। साक्षी आगे यह भी कहता है कि उसने उसके मुख्य परीक्षण में दिये गये कथन वाली बातें कभी भी पुलिस को नहीं बताई। जिससे यह दर्शित होता है कि विवेचक तहसीलदार द्वारा दिनांक : 01/06/2014 को ही मुरारी का पुलिस कथन प्र.डी.02 लेखबद्ध किये जाने संबंधी तथ्य असत्य रूप से दर्शित किये गये हैं और संभवतः उक्त पुलिस कथन विवेचक तहसीलदार अ.सा.05 द्वारा रिपोर्ट प्र.पी.

02 के तथ्यों की पुष्टि करते हुये लेखबद्ध कर लिये गये हैं। इस प्रकार इस वावत् विवेचक तहसीलदार अ.सा.05 एवं मुरारी अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि विवेचना सद्भाविक रूप से किये जाने के तथ्य को संदेहास्पद बनाता है।

22. डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.01 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर केवल फरियादी/आहत भूरीबाई अ.सा.02 के मेडीकल परीक्षण के संबंध में अभिमत के साक्षी होने के कारण एवं अभियोजन की पूर्व में विवेचित अन्य साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उनकी मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.01 में दर्शित उनके अभिमत संबंधी उनके न्यायालयीन साक्ष्य की कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

23. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन साक्ष्य इस वावत् संदेहास्पद है कि आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू ने दिनांक :- 01/06/2014 की सुबह लगभग 11:30 बजे, फरियादी भूरी के घर स्थित छत्तरपुरा के सामने, जो कि लोकस्थान के समीप एक स्थान है, फरियादी भूरी को माँ-बहिन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी भूरी, मुरारी एवं खुशबू की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त आशय के अग्रसरण में सहअभियुक्तगण ने लात-घूसों एवं डण्डों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं फरियादी भूरी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

अंतिम निष्कर्ष

24. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू के विरुद्ध धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण पुत्तू, गिराज एवं सोनू को धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग II भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

25. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद